

जी.एस.टी. इंस्पेक्टर को चार हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

टीम को देखकर इंस्पेक्टर ने सड़क पर रुपए फेंक दिये

पाली, (निर्स)। पाली एसबी ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए जीएसटी के इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोप है कि परिवारी से फर्म के कागजात को लेकर रिश्वत की डिमांड की गई। फिलहाल एसबी टीम कार्रवाई में जुटी है।

पाली शहर के वीडो नगर स्थित एसबी द्वितीय के ऑफिस में एक परिवारी ने शिकायत दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि उसके फर्म के कागजात सही करने और जुर्माना माफ करने को लेकर जीएसटी विभाग में कार्यरत इंस्पेक्टर नरेंद्रसिंह रिश्वत की डिमांड कर रहा है। इस पर एसबी की ओर से शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज गुरुवार को एसबी



आरोपी जी.एस.टी. इंस्पेक्टर को एसबी टीम ने गिरफ्तार किया।

द्वितीय के एसपी खीन सिंह के नेतृत्व में एसबी टीम ने आरोपी जीएसटी

इंस्पेक्टर नरेंद्रसिंह को 4 हजार रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसबी

परिवारी से फर्म के कागजात को लेकर रिश्वत की डिमांड की गई थी

जोधपुर रेंज उच्च महाविद्यालय पुलिस हेरेंद्र कुमार महावर के सुपरविजन में एसबी पाली द्वितीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीनसिंह मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी नरेंद्र सिंह जीएसटी निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग पाली को चार हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम को देखते ही आरोपी ने रिश्वत की राशि जेब से निकालकर सड़क पर फेंक दी। जो बरामद कर ली गई।

फर्जी डिप्लोमा और जालसाजी मामले में डॉक्टर सहित दो पर मुकदमा दर्ज

अजमेर, (कांस)। माखपुरा स्थित श्री बालाजी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. बालकिशोर शर्मा और उनके सहयोगी पीपू कुमार पांडे के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों से उगी करने के आरोप में अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोपियों पर युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने और जाली डिप्लोमा प्रमाण पत्र देने का आरोप है।

एडवोकेट शंकरलाल मेघवंशी और एडवोकेट राजीव भाट्टाज बरार ने बताया कि युवाज सिंह नामक व्यक्ति को मुलाकात श्री बालाजी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. बालकिशोर शर्मा से हुई। डॉक्टर ने उसे डिप्लोमा इन रेडिेशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स कराने और इसके बाद सरकारी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। इसके लिए लगभग चार लाख रुपए का खर्च बताया गया। युवाज सिंह ने अपने पिता ज्ञान सिंह को मौजूदगी में चार लाख की राशि डॉ. शर्मा को सौंप दी। डॉक्टर ने भरोसा दिलाया कि दो साल बाद परीक्षा दिनांक डिप्लोमा प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देंगे। दो साल बीतने के बाद जब

आरोपियों पर युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने और जाली डिप्लोमा प्रमाण पत्र देने का आरोप है

युवाज सिंह ने संपर्क किया, तो डॉक्टर ने बहाना बनाया कि प्रक्रिया में विंबल हो रहा है। इस दौरान डॉक्टर ने युवाज की बहन के लिए भी कोर्स कराने का प्रस्ताव रखा, जिससे युवाज सिंह ने बहन के पति द्रुंगर सिंह के खाले से 75 हजार और 85 हजार डॉक्टर शर्मा के खाले में जमा कराए। इसके अलावा पिता ज्ञान सिंह ने 2 लाख 40 हजार नकद दिए और बहन के दस्तावेज भी डॉक्टर को सौंपे। डॉक्टर ने कहा कि शीघ्र ही कोर्स पूर्ण करवाकर परीक्षा दिलावा दी जाएगी, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब परिवारी ने बार-बार संपर्क किया और

अपने 8 लाख लौटाने की मांग की, तो डॉक्टर ने पांच सौ के नोटरी प्रमाणित इकरारनामे पर आश्वासन दिया कि दो महीने के भीतर डिप्लोमा प्रमाण पत्र दे देंगे, अन्यथा 13.2 लाख लौटाने की बात कही। समय बीतने के बाद जब युवाज ने फिर से संपर्क किया तो डॉ. शर्मा ने सिक्रिम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें सौंप दिए और कहा कि इन्हें ले लो, वरना खुद मुकदमे में फंसा दूंगा और जेल भिजवा दूंगा। उन्होंने अपनी ऊंचे पदों पर जान पहचान होने का हवाला देकर झरने की कोशिश की।

पीडित युवाज सिंह ने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद पीडित ने न्यायालय में इस्तगसा दायर किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या चार कोमल भाटी ने आदर्श नगर थाने को आदेश दिया कि डॉ. बालकिशोर शर्मा और पीपू कुमार पांडे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

करंट की चपेट में आने से महिला की मौत

डूंगरपुर, (निर्स)। दोवड़ा थाना क्षेत्र के नया गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेत में सिंचाई करते समय बिजली के तार की चपेट में आने से 35 वर्षीय महिला किसान की मौत हो गई। मृतका की पहचान नया गांव पुनाली निवासी सीता पत्नी बसु नोनोमा के रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब सीता खेत में फसलों को पानी दे रही थी। अचानक वह बिजली लाइन के संपर्क में आ गई और तेज करंट का झटका लगने से नीचे गिर पड़ी। आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने तुरंत उन्हें डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला के 10 वर्ष का एक बच्चा है।

उन्के पति अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। देवल स्थित मृतका के मायके पक्ष को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। दोवड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बजरी खनन का फरार आरोपी गिरफ्तार

बाँली-बामनवास, (निर्स)। सर्वाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निदेशन में चलाए जा रहे अपराधियों की धरकड़ अभियान के तहत बाँली थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन व परिवहन वाहन के करीब एक वर्ष से फरार चल रहे आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। बाँली थाना प्रभारी राधाभन गुप्ता ने बताया कि 11 जनवरी 2024 को हेड कांस्टेबल पुर्णेश सिंह ने दौरान गस्त ग्राम थडोली से अवैध बजरी खनन व परिवहन कर रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया था। इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया था। इस आरोपी रामलाल मीणा ग्राम शिवाड़ थाना चौथ का बरबाड़ा को अनुसंधान अधिकारी उपनिरीक्षक राजेंद्र गिरी की टीम ने भाडोली कस्बे से गिरफ्तार किया है।

बाइक नहर में गिरी, छोटे भाई की मौत बड़े भाई ने तैरकर बचाई जान, घर से 25 किमी दूर हुआ हादसा

डूंगरपुर, (निर्स)। अहमदाबाद से घर लौट रहे दो सगे भाइयों की बाइक घर से 25 किमी दूर अनियंत्रित होकर सोमकमला आम्बा बांध की दाईं नहर में गिर गई। हादसे में छोटे भाई की डूबने से मौत हो गई। हादसे में बड़े भाई ने तैरकर अपनी जान बचाई। हादसा आसपुर थाना क्षेत्र में टोकवास मोड पर गुरुवार सुबह पांच बजे हुआ।

सीआई तेज सिंह ने बताया कि सर्लुंबर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र के गदया गांव निवासी शंकरलाल और कांतिलाल दोनों सगे भाई थे। दोनों अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं। शंकरलाल छोटे भाई कांतिलाल के साथ रात आठ बजे अहमदाबाद से बाइक से अपने गांव गदया आ रहा

दोनों भाई अहमदाबाद में लौट रहे थे, कांतिलाल की शादी पांच साल पहले हुई थी और उसकी दो साल की बेटी है

था। इस दौरान घर से 25 किमी दूर टोकवास मोड पर अचानक बाइक अनियंत्रित होकर एबीसी नहर में गिर गई। तभी शंकरलाल ने तैरकर अपनी जान बचाई और कांतिलाल पानी में डूब गया, जिसके बाद शंकरलाल ने बाहर आकर वाई पंच केशवलाल को फोन कर मदद मांगी। वहीं घटना की सूचना आसपुर पुलिस को दी। सूचना

मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नहर का पानी बंद करवाकर कांतिलाल की तलाश शुरू की। कांतिलाल का शव पानी में तैरता हुआ मिला, जिसे प्रशासन ने बाहर निकाला और सीएसडी आसपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल शंकरलाल का इलाज सीएसडी में चल रहा है।

दोनों भाई अहमदाबाद में लौट रहे थे। कांतिलाल की शादी पांच साल पहले हुई थी और उसकी 2 साल की बेटी है। कांतिलाल के पिता गेबा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पानी की टंकी में अवैध कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, 20 घायल

एक पक्ष ने बुजुर्ग के सीने में गोली मार दी, जो बुजुर्ग के फेफड़ों में फंस गई

अलवर, (निर्स)। पानी की टंकी में अवैध कनेक्शन लेने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने बुजुर्ग के सीने में गोली मार दी। गोली बुजुर्ग के फेफड़ों में फंस गई। परिजनों ने उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। इस विवाद में दोनों पक्षों के 20 लोग घायल हो गए, जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। 14 लोगों का अलवर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के खेरली पंचनोट गांव में हुई। विवाद की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर



सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

घायल 14 लोगों का अलवर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है

कार्रवाई शुरू कर दी है। मालाखेड़ा एसएसओ हितेश शर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बिछाई गई पानी की पाइप लाइन में अवैध कनेक्शन को लेकर झगड़ा हुआ। शुरूआती जांच में पता चला कि दोनों परिवारों में जमीन की तारबंदी को

लेकर पुरानी रंजिश थी। सभी लोग एक ही दावा के परिवार के हैं। इस घटना के दौरान भगवान सिंह (63) को गोली लगा गई। वह पेशे से किसान हैं और खेतोबाड़ी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू

कर दी है। भरत सिंह के पक्ष से करीब 10 लोग घायल हुए हैं। इनकी पहचान महावीर सिंह, हनुमान सिंह, मीना कंवर, दीपेश सिंह, सतवीर सिंह, दशरथ सिंह, लक्ष्मी के रूप में हुई है। एसएसओ हितेश शर्मा ने बताया कि दूसरे पक्ष के भगवान सिंह (63)

को गोली लगी है। इसके अलावा दीनदयाल (68), भैरू सिंह, जगदीश सिंह, गणेश, सीताराम और रसाल घायल हैं। इनमें से 10 से ज्यादा लोगों के सिर, नाक और मुंह पर चोटें आई हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल का कारावास

जालोर, (कांस)। पाँक्सो न्यायालय जालोर के न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी जोगी नवीन को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है।

डीएनए रिपोर्ट में आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना पाया गया था

प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के समक्ष रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी चौदह वर्षीय नाबालिग पुत्री व पुत्रवधु (दोनों नन्द भाभी) 2 मई 2024 को दिन में करीब डेढ़ बजे घर से किसी को बिना बताये चली गई, जिसकी गुमशुदगी भाद्राजून थाना में दर्ज करवाई। गुमशुदगी के दौरान पुत्रवधु को 4 जुलाई 2024 को अहमदाबाद से दस्तावेज कर लाया गया। वहीं नाबालिग पीड़िता व आरोपी जोगी नवीन पुत्र नयूजोगी, निवासी दरसडी पुलिस थाना गडश्रीशा जिला कच्छ गुजरात से 14 अगस्त 2024 को पकड़कर थाना लाया गया। नाबालिग पीड़िता ने अनुसंधान के दौरान बताया कि वह और उसकी भाभी दोनों काम की तलाश में अहमदाबाद चले गये, जहां उनकी मुलाकात जोगी नवीन से हुई। उसके बाद वह आरोपी जोगी नवीन के साथ उनके गांव चली गईं और उसके साथ खेती का काम करती थी। तथा उसके साथ राजीवश्री अपनी इच्छा से रही। पीड़िता ने अपने साथ लैंगिक हिंसा होने का कोई तथ्य नहीं बताया। पुलिस ने पीड़िता को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। पीड़िता को सखी सेंटर में रखते समय बाल कल्याण समिति के निदेश से पीड़िता की सोनाप्राणी करवाई गई,

जिसमें वह सोलह सप्ताह तीन दिन की गर्भवती होना पाया गया। आरोपी जोगी नवीन को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट के लिए सैम्पल एफएसएल के लिए भेजे। डीएनए रिपोर्ट में आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना पाया गया। पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से तैरह गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये। पाँक्सो न्यायालय के न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने आरोपी जोगी नवीन को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए पाया कि आरोपी ने नाबालिग को मदद करने के भरोसे उसे अपने साथ रखकर उसके साथ बलात्कार किया था नाबालिग को सिखाकर दुष्कर्म का आरोप किसी अन्य पर लगा दिया। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर स्थिति स्पष्ट हुई कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का होने से आरोपी जोगी नवीन को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं पचास हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। सरकारी की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने की।

मादक पदार्थ मामले में फरार दो इनामी गिरफ्तार

कोटा, (निर्स)। कोटा शहर के दो अलग-अलग थाना इलाकों में पुलिस टीम ने मादक पदार्थ मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि दादाबाड़ी थानाधिकारी मांगीलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी आधार पर मुखबीर की सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार एक हजार के इनामी आरोपी पनवाड़ जिला झालवाड़ हाल शिवपुरी निवासी ओमप्रकाश (40) को गिरफ्तार किया। शहर एसपी ने बताया कि कुन्हाडी थाने के उपनिरीक्षक भंवरलाल ने सात जनवरी को कार्यवाही करते हुए बालपुरा निवासी अनिल को 300 ग्राम गांजा सहित पकड़ा था, जिसका अनुसंधान नयापुरा थाने की उपनिरीक्षक संतोष चन्द्रावत कर रही थी। पकड़े गये आरोपी अनिल से अनुसंधान में अवैध मादक पदार्थ गांजा कासिम बेग से खरीद कर लाना बताया, वहीं आरोपी कासिम बेग मौके से फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस प्रशासन द्वारा दो हजार के इनाम की घोषणा की गई।

Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd.

(A Government of Rajasthan Undertaking) Old Working Women Hostel, Behind Nehru Place, LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015 Ph: 0141-2742240; E-mail: rudscico@rajasthan.gov.in, rudscico@gmail.com; Web: urban.rajasthan.gov.in/rudscico F18 (52) RUDSICO/AMRUT-2.0/2024-25/Tender/621 Date:- 29/01/2025

NIB No. 10/2024-25

Notice inviting online bid for Rejuvenation of Water Body Project under AMRUT-2.0

Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage & Infrastructure Corporation Limited (RUDSICO), a Government of Rajasthan undertaking, invites online unconditional bids on behalf of the Governor of Rajasthan through e-procurement portal <http://eproc.rajasthan.gov.in> in accordance with the RTP Act 2012 and RTP Rules 2013, amended up to date, and under Open Competitive Bidding (OCB) National with single stage-two envelope Bidding procedure for following works:

S. No.	Name of Work	Project Cost	Bid Security	Period of completion
1	Rejuvenation of Water Body projects at Jodhpur North, Nagaur, Bilara & Beawar Package - AMRUT 2.0/RAJ/RWB/03	11.92	0.238	15 months

The details of NIB can be seen at e-procurement portal of state government eproc.rajasthan.gov.in and www.rudscico.com from date 30.01.2025 at 1700 Hours till the end date of online submission of bids i.e. 24.02.2025 up to 1500 Hours. Any subsequent addendum/corrigendum shall be published only at the e-procurement portal.

UBN NO. : RDP2425WLB001164, NIB Code: RDP2425A0037

Executive Director RUDSICO, Jaipur

Raj.Samwad/CJ/24/11037

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, वृत्त बारां

निविदा सूचना संख्या 06/2024-25 दिनांक-08.01.2025

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत खोली जावेगी। निविदा शुल्क/प्रक्रिया शुल्क/धरोहर राशि निविदादाता द्वारा उपाय के माध्यम से चालान की प्रति इस कार्यालय में 31.01.2025 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करवाना होगा। विभाग में पंजीकृत स्थायी संवेदा/परम का पुनरावलोकन जीवित नहीं होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी।

उक्त निविदा एस्पेसी प्रोर्टल पर प्रकाशित की जा चुकी है। निविदा से सम्बंधित विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं-

- <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, 2. <http://sppp.rajasthan.gov.in>

निविदा संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा/प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि		
06/2024-25	Annual Rate contract for Construction & Commissioning of 200 mm & 150 mm tube wells with Submersible pump sets etc. complete work in all types of strata including defect liability period of 02 year at various villages of PHED Division Chhabra UBN NO.: PHE2425WSRC08074	100.00	200000/-	50000/-	2000/-	1500/-	12 माह

“जल ही जीवन है”

(अलोक कुमार गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वा.अभि. विभाग, वृत्त बारां

DIPR/C/1011/2025

राजस्थान आवासन मण्डल

हमारा प्रयास - सबको आवास

एमएनआईटी फैंकल्टी रेजिडेंसी फेज-5

बहुमंजिला फ्लैट्स

एन आर आई सर्किल के पास,
सेक्टर-26, प्रताप नगर,
सांगानेर, जयपुर

लोकेशन व पुस्तिका के लिए स्कैन करें

एन एनआईटी में सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक एवं अधिकारी/केन्द्र एवं राज्य सरकार के महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान / स्किल डवलपमेंट कॉलेज / विश्वविद्यालय / मेडिकल कॉलेज / इंजीनियरिंग कॉलेज / पॉलिटेक्निक कॉलेज / प्रशिक्षण कॉलेज के सेवारत शिक्षक / एमएनआईटी के पूर्व छात्र या उनके पति / पत्नी जो वर्तमान में केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार में सेवारत / राज्य अथवा केन्द्र सरकार के चिकित्सालयों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त डॉक्टर्स

राज्य सरकार के पेमेंटिक्स 14 और इससे अधिक एवं केन्द्र सरकार के श्रेणी "ए" सेवारत / सेवानिवृत्त अधिकारी भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। *नियम एवं शर्तें आवेदन पुस्तिका अनुसार

आय वर्ग	फ्लैट्स संख्या	सुपर बिल्ट अप एरिया (वर्ग फीट में)	प्रावधान	अनुमानित लागत (रु. लाख में) प्रति फ्लैट
HIG-I	17	3489	3BHK + सर्वेट रूम	144.50
HIG-II	8	3625	3BHK + सर्वेट रूम	152.35
HIG-III	7	2543	2BHK	104.65
HIG-IV	3	2580	2BHK + सर्वेट रूम	103.75

Online आवेदन प्रारम्भ 1 फरवरी 2025

आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025

स्वतंत्र पोषित योजना

• क्लब हाउस • बैंकवेट हॉल • जिम • स्पा • स्विमिंग पूल • टेनिस कोर्ट • लैंड स्केपिंग • फ़ायर फ़ाइटिंग सिस्टम • इंडोर गैम्स • गेस्ट हाउस • रैन वॉटर हार्वैस्टिंग • सुरक्षा गार्ड • एलईडी लाइट्स

हेल्पलाइन नं. कार्यालय समय में: 0141-2744688, 2740009, कार्यालय समय उपरान्त: 9461054291/92/319 एवं 9460254319, कमल कुमावत (6376868696) या समन्वयक अधिकारी श्री भारत भूषण जैन (9828363615) से सम्पर्क करें

RERA Reg. No. RAJ/P/2022/1996 | Website: <https://rera.rajasthan.gov.in>

अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए RHB की वेबसाइट <https://rhb.rajasthan.gov.in> देखें | आवासन आयुक्त